



The Uttaranchal Board of Technical Education Act, 2003

Act 27 of 2003

Keyword(s):

Technical Education, Affiliated Institution, Diploma

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 15 जनवरी, 2004 ई0
पौष 25, 1925 शक सम्बत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 499/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 15 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 पर दिनांक 13-01-2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 27, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2003

(अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2003)

उत्तरांचल राज्य में प्राविधिक शिक्षा परिषद् की स्थापना करने और उसका गठन करने एवं उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक, विषयों की व्यवस्था करने हेतु यह

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा अधिनियमित :-

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ
एवं विस्तार

1. (1) यह अधिनियम "उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2003" कहा जायेगा।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

परिभाषाएँ

2. जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "प्राविधिक शिक्षा" का तात्पर्य तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा से है, जो विभिन्न तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है तथा जिसके लिए डिप्लोमा स्तर (2 से 3 वर्ष), स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर तक (3 से 4 वर्ष) की अवधि के विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे सिविल, विद्युत, यांत्रिक, रासायनिक अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणन (इन्स्ट्रुमेन्टेशन), सूचना प्रौद्योगिकी, वास्तुविद्या (आर्किटेक्चर), कम्प्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मेषजी, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इन्टीरियर डिजाइन एवं डेकोरेशन, कार्यालय प्रबन्धन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित एवं उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अन्य विविध व्यावसायिक तथा अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् से है;

(ख-1) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" (AICTE) का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;

(ग) "केन्द्र" का तात्पर्य ऐसी संस्था या स्थान से है जिसे परीक्षाओं के संचालन हेतु परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। इसमें इससे सम्बद्ध अथवा संलग्न परिसर भी सम्मिलित हैं;

(घ) "सम्बद्ध संस्था" का तात्पर्य किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों (स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम से भिन्न) के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के अनुसार परिषद् से सम्बद्ध किसी सरकारी, शासकीय सहायता प्राप्त अथवा निजी क्षेत्र की स्वयंसेवक संस्था से है;

(च) "प्रमाण-पत्र" से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसे पाठ्यक्रमों को जिन्हें नियमों अथवा विनियमों द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए, किसी सम्बद्ध संस्था से सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त परिषद् द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र से है;

(छ) "डिप्लोमा" से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसे पाठ्यक्रम, जिन्हें नियमों एवं विनियमों द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए, किसी सम्बद्ध संस्था से सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त आरम्भिक डिप्लोमा, एडवान्स डिप्लोमा, हायर डिप्लोमा, इन्टरमीडिएट डिप्लोमा अथवा उत्तर (पोस्ट) डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने पर परिषद् द्वारा दिए जाने वाले डिप्लोमा से है;

- (ज) "अध्यक्ष" का तात्पर्य इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन नियुक्त परिषद् के अध्यक्ष से है;
- (झ) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के उपाध्यक्ष से है;
- (ञ) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल सरकार से है;
- (ट) "सचिव" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के सचिव से है;
- (ड) सम्बद्ध संस्था के सम्बन्ध में "प्रबन्धन या प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य उस प्रबन्ध समिति अथवा शासी निकाय से है, जो उस संस्था के कार्यों का संचालन करती है;
- (ढ) "विनियम" का तात्पर्य परिषद् द्वारा अनुमोदित इस अधिनियम के अधीन बनाये गये उप नियमों से है;
- (त) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 15 से 18 तक के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है;
- (थ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;
- (द) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से है जिसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं।

3. राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद् की स्थापना करेगी जिसका नाम उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् होगा और इस तथ्य के होते हुए भी कि सदस्यों के एक या उससे अधिक स्थान अमी मरे जाने हैं, ऐसी अधिसूचना इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय की जा सकती है।

परिषद् की स्थापना

4. (i) अध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन, परिषद् के अध्यक्ष (पदेन) होंगे। अध्यक्ष की ऐसी शक्तियां होंगी जैसा कि इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों द्वारा उन्हें प्रदान की जाएं;
- (ii) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
- (iii) राज्य सरकार के उद्योग, वित्त, कार्मिक तथा योजना विभाग में से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि;
- (iv) मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि जो प्राविधिक शिक्षा का कार्य संपादित कर रहा हो;
- (v) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक प्रतिनिधि;
- (vi) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की का एक प्रतिनिधि (जो आचार्य/सहायक आचार्य स्तर से कम का न हो);
- (vii) उत्तरांचल सरकार के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों से, जिनमें अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विषयों के पाठ्यक्रम सम्मिलित हों, प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि;
- (viii) मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग;
- (ix) मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग;
- (x) मुख्य अभियंता, जल निगम;
- (xi) प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन;

परिषद् एवं शासी निकाय की संरचना

- (xii) परिषद् से सम्बद्ध एवं राजकीय संस्थानों के प्रधानाचार्यों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रधानाचार्य;
- (xiii) निदेशक, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उत्तरांचल;
- (xiv) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग, उत्तरांचल;
- (xv) उद्योग निदेशक, उत्तरांचल;
- (xvi) प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि;
- (xvii) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल;
- (xviii) उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् के सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे;
- (xix) उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् का कार्यालय, रुड़की (हरिद्वार) में स्थित होगा।

विशेषज्ञों का
सहयोजन

5. परिषद्, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, स्नातक स्तर के इंजीनियरी महाविद्यालयों तथा उद्योग के सुसंगत क्षेत्रों के विशेषज्ञों में से अनधिक तीन ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी, जो उसके द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रमों के विषयों के विशेषज्ञ होंगे। सहयोजित व्यक्तियों के नाम और प्रत्येक की सहयोजिता अवधि गजट में अधिसूचित की जाएगी।

सदस्यों का
कार्यकाल
परिषद् की बैठक

6. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

7. परिषद् की बैठक ऐसे स्थान और समय पर निर्धारित की जायेगी, जैसा कि परिषद् के अध्यक्ष निर्देशित करेंगे। यह बैठक वर्ष में न्यूनतम दो बार अवश्य होगी। वर्ष के अन्त में परिषद् की एक वार्षिक साधारण बैठक भी होगी। आपात स्थिति में अध्यक्ष अल्प सूचना पर परिषद् की बैठक बुला सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं।

परिषद् के
अधिकारी

8. परिषद् के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

- (क) सचिव;
- (ख) संयुक्त सचिव;
- (ग) उप सचिव;
- (घ) सहायक सचिव;
- (च) वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी।

राज्य सरकार, प्रस्तर 8 के (क) से (घ) में उल्लिखित पदों पर किसी उपयुक्त अभ्यर्थी को प्राविधिक शिक्षा विभाग के बाहर से खुले चयन के आधार पर अथवा प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तरांचल में कार्यरत समान पदक्रम और समकक्ष वेतनमान के अधिकारियों को स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त कर सकेगी तथा ऐसे अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित होंगे।

वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी तथा यह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो नियमों के अधीन विहित किए जाय अथवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।

परिषद् की
शक्तियां और
कर्तव्य

9. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिषद् के निम्नलिखित कृत्य एवं कर्तव्य होंगे:-

- (क) संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करना, पाठ्यक्रमों का निर्धारण, मुख्य परीक्षा का संचालन तथा निम्न कक्षाओं से उच्चतर कक्षाओं के पाठ्यक्रम के उन्नयन हेतु निर्देश देना;

- (ख) परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं मानकों को पूर्ण करने वाली संस्थाओं के लिए परीक्षाओं तथा डिप्लोमा/उपाधियां प्रदान करने के प्रयोजन के लिए परिषद् की सम्बद्धता प्राप्त करनी अनिवार्य है। तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं का निरीक्षण तथा उनके पंजीकरण की व्यवस्था एवं उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करना;
- (ग) सम्बद्ध संस्थाओं के भवन एवं उपकरणों के मानक निर्धारित करना;
- (घ) सम्बद्ध संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया विहित करना;
- (च) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा (परीक्षाओं) में छात्रों को सम्मिलित होने के लिये अनुमति प्रदान करना;
- (छ) प्रवेश परीक्षा एवं सामान्य परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करना तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के मानकों के अनुसार डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र प्रदान करना;
- (ज) तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास हेतु इस अधिनियम के अधीन उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार को परामर्श देना;
- (झ) प्रवेश परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं हेतु शुल्क निर्धारण तथा नियमानुसार लेखा एवं खातों का रख-रखाव;
- (ट) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों/निर्देशों का अनुपालन;
- (ठ) अंशदान, भारत सरकार तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) की विभिन्न योजनाओं से प्राप्त अनुदान आदि प्राप्त करना;
- (ड) ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदान किए जाएं;
- (ढ) (i) इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अन्तर्गत परिषद् को समस्त ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो कृत्यों के निर्वहन और कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हों;
- (ii) पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् को विशेष रूप से निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी :-

(क) परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट मापदण्डों एवं मानकों को पूर्ण न करने वाली संस्था की सम्बद्धता निरस्त करना;

(ख) किसी भी परीक्षा को निरस्त करना अथवा किसी भी छात्र अथवा सम्पूर्ण संस्था का परीक्षाफल रोके रखना और किसी भी छात्र को भविष्य में परिषद् की किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति न देना, यदि वह निम्न प्रकार से दोषी पाया जाता है :

- * परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग किया गया हो;
- * संस्था में प्रवेश एवं परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन-पत्र में गलत विवरण दिया गया हो अथवा सारवान सूचना या तथ्यों को छुपाया गया हो;
- * परीक्षा में कपटपूर्ण व्यवहार अथवा छद्म व्यक्तित्ता;
- * ऐसी परीक्षा में प्रवेश नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन कर परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करना;
- * परीक्षा काल में घोर अनुशासनहीनता :

परन्तु, परिषद् की किसी सद्भाविक त्रुटि के कारण परीक्षाफल घोषित होने के 90 दिन के उपरान्त कोई भी परीक्षाफल निरस्त नहीं किया जा सकेगा।

राज्य सरकार की
शक्तियाँ

10. (क) परिषद् द्वारा किये गये अथवा संचालित किसी कार्य अथवा किसी विषय के सम्बन्ध में जिसका परिषद् से सम्बन्ध हो, राज्य सरकार परिषद् में अपना मत व्यक्त कर सकती है। तत्पश्चात् उस सम्बन्ध में परिषद् द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में परिषद् राज्य सरकार को सूचित करेगी;

(ख) यदि परिषद् युक्ति-युक्त समय सीमा में ऐसी कार्यवाही करने में, जिससे राज्य सरकार का समाधान हो जाए, असफल रहती है, तो राज्य सरकार परिषद् द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण अथवा प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों से सुसंगत निर्देश जारी कर सकती है, ऐसे समस्त कदम उठा सकती है जो वह आवश्यक समझे। परिषद् को विनिर्दिष्ट समय के अन्दर उक्त निर्देशों का अनुपालन करना होगा अन्यथा राज्य सरकार ऐसे सभी कदम उठा सकती है जो वह ऐसे निर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक समझे;

(ग) धारा 10 की उपधारा (क) व (ख) में किसी बात के होते हुए भी किसी भी आपात स्थिति में यदि राज्य सरकार के विचार से तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित है तो वह परिषद् को पहले से निर्दिष्ट किए बिना इस अधिनियम के विशिष्ट उपबन्धों से सुसंगत ऐसे निर्देश जारी कर सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है, जो वह उचित समझे;

(घ) राज्य सरकार की इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन किसी तकनीकी संस्था का, जिसको आरम्भ करने या खोले जाने की राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो, आवश्यकतानुसार किसी भी समय निरीक्षण करने की शक्ति होगी। यदि मान्यता प्राप्त कोई संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा निर्धारित मापदण्डों अथवा मानकों को पूर्ण नहीं करते और उनके अनुसार कार्य न करती हुई पायी गयी तो राज्य सरकार को अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने की शक्ति होगी।

अध्यक्ष की
शक्तियाँ और
कर्तव्य

11. (क) अध्यक्ष को परिषद् के विनिश्चयों को क्रियान्वित करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ करने का अधिकार होगा और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं;

(ख) इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन गठित समितियों की संस्तुतियों पर अध्यक्ष को ऐसे निर्णय लेने की शक्ति होगी जो कि परिषद् के अधिकार क्षेत्र में हो और जैसा कि वह उचित समझे। अध्यक्ष ऐसे प्रत्येक निर्णय के सम्बन्ध में आगामी वार्षिक साधारण बैठक में परिषद् के शासी निकाय को सूचित करेगा;

(ग) परिषद् इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (ग) के अधीन अध्यक्ष द्वारा धारा 10 की उपधारा (ख) व (ग) के अन्तर्गत पारित आदेशों की पुष्टि कर सकती है और अध्यक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही के कारण उत्पन्न प्रकरणों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकती है जो वह समीचीन और आवश्यक समझे;

(घ) धारा 10 की उपधारा (ख) व (ग) के अधीन अध्यक्ष द्वारा तत्काल लिए गए निर्णयों से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही अथवा पारित आदेश अंतिम होंगे तथा उन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी और वह अध्यक्ष अथवा परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन पारित आदेश पर अधिभावी होंगे।

12. उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो नियमों द्वारा विहित हों तथा इस धारा के अधीन अध्यक्ष अथवा परिषद् द्वारा प्रतिनिधानित किए जाएं।

उपाध्यक्ष की शक्तियों और कर्तव्य

13. सचिव, परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा एवं अध्यक्ष तथा परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रहते हुए उसके विनिश्चयों के निष्पादन हेतु उत्तरदायी रहेगा, वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं, विशेषकर :-

सचिव की शक्तियों और कर्तव्य

- (1) वार्षिक आय-व्यय का लेखा एवं अनुमान तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा;
- (2) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि परिषद् को आवंटित समस्त धनराशि का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए ही किया जा रहा है, जिनके लिए वह आवंटित की गई है;
- (3) परिषद् के कार्यवृत्तों का ब्योरा रखने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (4) परिषद् की बैठकों में उपस्थित रहने, और कार्यवाही में भाग लेने का हकदार होगा।

14. (1) परिषद् विभिन्न समितियों जैसे पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा-समिति, निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति, प्रवेश परीक्षा समिति एवं अन्य कोई समिति जिसको नियमों द्वारा विहित किया जाए, गठित करेगा। परिषद् का सचिव ऐसी प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा;

समितियों एवं उप समितियों का गठन

(2) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर सचिव/संयुक्त सचिव प्रवेश परीक्षा समिति का पदेन अभिहित निदेशक होगा;

(3) उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन गठित समितियों के ऐसे सदस्य एवं अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें प्रत्येक मामले में परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाय। समिति के सदस्य का कार्यकाल ऐसा होगा जैसा कि नियमावली द्वारा विहित किया जाए;

(4) परिषद् की किसी भी समिति द्वारा ऐसे व्यक्तियों को तथा ऐसी अवधि के लिए सहयोजित किया जा सकता है जैसा कि वह उचित समझे किन्तु ऐसे सहयोजित व्यक्तियों की संख्या समिति की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी;

(5) परिषद् का सहयोजित सदस्य परिषद् के अध्यक्ष से लिखित रूप में अनुरोध कर त्याग-पत्र दे सकता है;

(6) उपधारा (5) के अन्तर्गत त्याग-पत्र देने अथवा किसी अन्य कारण से हुई समिति की आकस्मिक रिक्ति उपधारा (3) व (4) में विहित रीति से नई नियुक्ति अथवा सहयोजन द्वारा, यथास्थिति, भरी जाएगी;

(7) इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति समिति ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाए तथा ऐसी अवधि के लिए जैसा कि वह उचित समझे, उप समितियों का गठन कर संकेगी।

15. इस अधिनियम के संपर्बन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् से सम्बद्ध किसी मामले और किसी विषय, विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए, राज्य सरकार द्वारा नियमों के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी :-

परिषद् के नियम बनाने की शक्तियां

(क) परिषद् के कार्यालयों एवं अधिकारियों के कार्य सम्पादन की प्रक्रिया और ऐसी इकाइयों का गठन जिसे इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है;

(ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति अथवा भर्ती की, जो भी लागू हो, रीति, चयन प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें एवं उनके कर्तव्य एवं शक्तियां;

- (ग) विभागों का सृजन, उद्विकास एवं पुनर्गठन;
- (घ) डिप्लोमा प्रदान करने की प्रक्रिया;
- (च) छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने से सम्बन्धित प्राविधान;
- (छ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया जिसमें स्थानों का आरक्षण भी शामिल है;
- (ज) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क;
- (झ) अन्य विषय जिन्हें विहित किया जाना है अथवा किया जाए;
- (ट) प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था तथा इसके लिये आवश्यक प्राविधान।

विनियम बनाने की शक्तियाँ

16. परिषद् को इस अधिनियम के अधीन विनियम बनाने की शक्ति होगी और इस प्रकार बनाए गए विनियम राज्य सरकार को उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक और समीचीन हो।

17. परिषद् इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिये विनियमों का प्राविधान कर सकेगी, अर्थात्:

- (क) संस्थाओं में छात्रों का प्रवेश एवं नामांकन;
- (ख) डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र एवं अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;
- (ग) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा केन्द्रों, परीक्षकों, परिनिरीक्षकों, सारणीकारों, प्रश्न-पत्र तैयार करने वालों, अनुसीमकों (मॉडरेटर) आदि की नियुक्ति प्रक्रिया एवं उनके दायित्व;
- (घ) डिप्लोमा परीक्षा तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं की परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क;
- (च) सम्बद्ध संस्थाओं के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;
- (छ) उन संस्थाओं एवं उनके संप्रवर्तकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही जिन्हें इन संस्थाओं के संचालन में इस अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा;
- (ज) अन्य सभी विषय जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन नियमों में प्राविधान किया जाय;
- (झ) परिषद् को केन्द्र अधीक्षकों, परिनिरीक्षकों, परीक्षकों, प्रश्न-पत्र तैयार करने वालों, अनुसीमकों (मॉडरेटर) के पारिश्रमिक, मानदेय की, परिषद् के सदस्यों, विशेषज्ञों तथा अन्य समिति एवं समितियों के सदस्यों, उनके सहयोजित सदस्यों को देय यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते की दर तथा उनके मुगतान करने की रीति निश्चित करने की शक्ति होगी;
- (ट) परिषद् किसी भी संस्था में प्रवेश अथवा परीक्षा की तब तक अनुमति नहीं देगी जब तक कि इसका समुचित रूप से निरीक्षण नहीं कर लिया गया हो तथा परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुति न की गयी हो और उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्धता प्रदान न की गई हो।

18. राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए परिषद् अतिरिक्त विनियम बना सकेगी या वर्तमान विनियमों को संशोधित या निरस्त कर सकेगी।

प्रकीर्ण

19. परिषद् के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा निबन्धन समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

20. कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सदभावनापूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, परिषद् के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध सन्निहित नहीं होगी।

21. (1) (क) परिषद् की एक सामान्य (वैयक्तिक खाता लेखा-पी0एल0ए0) निधि होगी जिसमें निधियां जमा की जा सकेंगी;

परिषद् की
निधियां

(ख) प्रवेश परीक्षा के लिए पृथक सामान्य निधि (लेखा) रखी जाएगी।

(2) परिषद् द्वारा उपरोक्त के अनुसार सामान्य निधियां रखी जाएंगी जिनमें निम्नलिखित निधियां जमा की जाएंगी :-

(क) परीक्षा शुल्क जो परिषद् द्वारा प्रभारित किया जाए;

(ख) प्रवेश परीक्षा से प्राप्त समस्त शुल्क;

(ग) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशियां;

(घ) परिषद् द्वारा किए गये सभी अंशदान;

(च) किसी अन्य निकाय या व्यक्ति द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान, दान अथवा भारत सरकार या अन्य वित्त पोषक एजेंसी से प्राप्त अनुदान;

(3) परिषद् की सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग परिषद् के आवर्तक एवं अनावर्तक मदों पर आने वाले व्यय हेतु किया जायेगा;

(4) प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित सभी व्यय की पूर्ति प्रवेश परीक्षा के लिए अनुरक्षित सामान्य निधि से की जाएगी।

22. परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अन्दर तैयार किया जाएगा तथा शासी निकाय के अनुमोदनार्थ आम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

आम सभा की
वार्षिक बैठक

23. (i) परिषद् के वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र तैयार किये जायेंगे जिसमें समस्त आय और व्यय दर्शाया जाएगा।

लेखों का
अनुरक्षण

(ii) इसी प्रकार समस्त आय-व्यय दर्शाते हुए प्रवेश परीक्षा के पृथक लेखे और तुलन-पत्र तैयार किये जायेंगे।

(iii) परिषद् की सामान्य निधि के लेखों की लेखा-परीक्षा लेखा नियमावली के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित रीति से की जाएगी।

(iv) प्रवेश परीक्षा के लेखों की लेखा-परीक्षा प्राधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा की जायेगी।

(v) वार्षिक लेखे, तुलन-पत्र तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन आम सभा की वार्षिक बैठक में शासी निकाय के समक्ष रखे जायेंगे तथा तत्पश्चात् राज्य सरकार को भेजे जायेंगे।

24. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत हों।

कठिनाइयों के
निराकरण की
शक्तियां

25. (1) उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अध्यादेश-2003 (अध्यादेश संख्या 08, वर्ष 2003) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और
अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

बी0 लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Board of Technical Education, Act, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 27 of 2003) for general information :

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 13, 2004.

No. 499/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, January 15, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

UTTARANCHAL BOARD OF TECHNICAL EDUCATION, ACT, 2003

(Act No. 27 of 2003)

to provide for the establishment and constitution of "Board of Technical Education in Uttaranchal and for matters connected therewith or incidental thereto",

AN
ACT

IT IS HEREBY enacted by State Assembly in the Fifty-fourth year of the Republic of India as follows:--

Preliminary

Short title,
Commencement
and Extent

1. (1) This Act may be called the **UTTARANCHAL BOARD OF TECHNICAL EDUCATION ACT, 2003**.

(2) It shall be deemed to have come into force from the date of Notification issued by the State Government.

(3) It extends to the whole of Uttaranchal State.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires :--

(a) "Technical Education" means the technical/professional education imparted by various technical institutions and managing the teaching and training upto diploma (2 to 3 years), degree and post graduate level (3 to 4 years) duration in various disciplines viz. Civil, Electrical, Mechanical, Chemical Engineering, Electronics, Instrumentation, Information Technology, Architecture, Computer Science & Engineering, Pharmacy, Textile Designing, Interior Design and Decoration, Office Management and other diversified professional/engineering courses approved by AICTE and recognized by the Uttaranchal Board of Technical Education and concerned University.

(b) "Board" means the **UTTARANCHAL BOARD OF TECHNICAL EDUCATION**;

(b-1) All India "Council for Technical Education (AICTE)" means the All India Council for Technical Education established under All India Council for Technical Education Act, 1987;

(c) "Centre" means the institution or the place specified by the Board for the purpose of holding the examinations and includes the premises attached or appurtenant thereto;

(d) "Affiliated Institution" means a Govt., Govt. aided or a self financed institution in private sector affiliated to the Board in respect of any course or courses of study other than degree courses in accordance with the provisions of the Act or the rules made thereunder;

- (e) "Certificate" means the certificate awarded by the Board to a person for successfully completing in an affiliated institution such courses of study as may from time to time be prescribed by rules or regulations;
- (f) "Diploma" means the Diploma awarded by the Board to a person for successfully completing in an affiliated institution such course of study as may from time to time be prescribed by rules and includes a preparatory diploma, advance diploma, higher diploma, intermediate diploma or a diploma awarded for completing a post diploma course;
- (g) "Chairman" means the Chairman of the Board appointed under the provisions of this Act;
- (h) "Vice-Chairman" means the Vice Chairman of the Board appointed by the State Government;
- (i) "Director" means the Director of Technical Education, Govt. of Uttaranchal;
- (j) "Secretary" means the Secretary of the Board appointed by the State Government;
- (k) "Management" or "Committee of Management" in relation to an affiliated institution means the Managing Committee or the Governing Body managing the affairs of that institution;
- (l) "Regulation" means the Bye-laws approved by the Board under the Rules of the Act;
- (m) "Rules" means the rules made by the State Government under Section 15 to 18 of the Act.
- (n) "State" means the State of Uttaranchal;
- (o) "Member" means a member of the Board and includes the Chairman and Vice-Chairman thereof.

3. There shall be established by the State Government by notification in the Gazette a Board to be called the UTTARANCHAL BOARD OF TECHNICAL EDUCATION and such a notification may be made at any time after the commencement of this Act, notwithstanding the fact that one or more of the seats of members are yet to be filled.

Establishment
of the Board

- 4. (i) Chairman, The Principal Secretary/Secretary Department of Technical Education, Government of Uttaranchal will be the (Ex-officio) Chairman of the Board. The Chairman shall have such powers as may be conferred on him by this Act or the Rules and Regulations made thereunder;
- (ii) Vice Chairman shall be nominated by the State Govt. on the recommendation of the Chairman;
- (iii) One representative each of the departments of Industries, Finance, Personnel and Planning of the State Government;
- (iv) One representative dealing with technical education from the Ministry of Human Resource Development (MHRD), Govt. of India;
- (v) One representative of All India Council for Technical Education (AICTE);
- (vi) One representative of IIT Roorkee (Not below the rank of Professor/Asstt. Professor);
- (vii) One representative each of Universities established by or under an Uttaranchal Act in which the syllabus of Engineering and Technology is included;

Composition
of the Board
Governing
Body

	<p>(vii) Chief Engineer, Public Works Department;</p> <p>(ix) Chief Engineer, Irrigation Department;</p> <p>(x) Chief Engineer, Jal Nigam;</p> <p>(xi) Managing Director, Uttaranchal Power Corporation;</p> <p>(xii) One Principal from amongst the Principals of Government and affiliated institutions of the Board nominated by the State Government;</p> <p>(xiii) Director, Basic and Secondary Education, Government of Uttaranchal;</p> <p>(xiv) Director, Training and Employment Govt. of Uttaranchal;</p> <p>(xv) Director, Industries, Govt. of Uttaranchal;</p> <p>(xvi) One representative from amongst prominent Industrialists nominated by the State Government;</p> <p>(xvii) Director, Technical Education, Government of Uttaranchal;</p> <p>(xviii) Secretary, Uttaranchal Board of Technical Education will be the Member Secretary;</p> <p>(xix) The Uttaranchal Board of Technical Education will be situated at Roorkee (Hardwar).</p>
Co-option of experts	<p>5. The Board may co-opt from IIT, Degree level Engineering Colleges and experts in the relevant field from industries, such persons not exceeding three, as may be the experts in subjects included in the courses of study laid down by the Board. Name of the persons co-opted and term of co-option of each shall be notified in the Gazette.</p>
Term of the Members	<p>6. The term of the members shall be three years under the provisions of this Act.</p>
Meeting of the Board	<p>7. The Board shall meet at such time and place as directed by the Chairman of the Board. The Board shall meet at least twice a year.</p> <p>The Board shall also hold an Annual General Meeting at the end of the year.</p> <p>In case of any emergency the Chairman may convene and conduct the Board's meeting at a short notice.</p>
Officers of the Board	<p>8. The officers of the Board will be as under :-</p> <p>(a) Secretary;</p> <p>(b) Joint Secretary;</p> <p>(c) Deputy Secretary;</p> <p>(d) Assistant Secretary;</p> <p>(e) Controller of Finance/Accounts Officer.</p> <p>The State Government may appoint a suitable candidate by open selection from outside the department of Technical Education or on transfer or on deputation on the same grade and pay scales officers from the department of Technical Education, Uttaranchal on the posts as mentioned in para 8 (a) to (d) and such officers shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by this Act or State Government.</p> <p>The Controller of Finance/Accounts Officer shall be appointed by the State Government in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed under rules or may be required by the Chairman, Vice-Chairman or Secretary from time to time.</p>
Powers and Duties of the Board	<p>9. Subject to the provisions of this Act the functions and duties of the Board shall be :-</p>

- (a) To affiliate institutions, prescribe courses of study, conduct main stream examination and give directions for the upgradation of curriculum from lower to higher classes;
- (b) It is mandatory for the technical institutions fulfilling the norms & standards fixed by the Board to get affiliation from the Board for the purpose of examination and award of diplomas/degrees whatsoever, inspections and provide for the registration of bodies imparting technical education or managing professional courses and for matters connected therewith and incidental thereto;
- (c) To prescribe standard for buildings and equipment of affiliated institutions;
- (d) To prescribe the manner and educational qualifications of students for admission to affiliated institutions;
- (e) To admit students to examinations conducted by the Board;
- (f) To declare results of the Entrance Examinations and Regular Stream Examination and Award of Certificates or Diplomas according to the norms of All India Council for Technical Education;
- (g) To advise the State Government on co-ordinated development of Technical Education as per the provisions under this Act;
- (h) To fix the fees for Entrance Examination and Other Examinations and maintain the ledgers as per the rules;
- (i) To carryout such orders and directions as may be issued by the State Government from time to time;
- (j) To receive contributions, grants of Government of India and AICTE schemes etc.;
- (k) To carryout such other duties as may be conferred upon it by the rules made under this Act;
- (l) (1) The Board shall, have all such powers as may be necessary for the discharge of its functions and the performance of its duties, subject, to the provisions of this Act, or the rules or regulations made thereunder;
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Board shall have the powers :-

(i) to cancel the affiliation of the institution not fulfilling the norms and standards specified by the Board;

(ii) to cancel an examination or withhold the result of an examination of a candidate or institution as a whole and to disallow a candidate from appearing in any future examination, if found guilty of:

- Using unfair means in the examination; or
- Making any incorrect statement or suppressing material information or fact in the application form for admission to the institution or to the examination; or
- Fraud or impersonation at the examination; or
- Securing admission to the examination in contravention of the rules governing admission to such examination; or
- Any act of gross indiscipline during examination;

Provided that the result of an examination shall not be cancelled on the ground of a bonafide error of the Board, after the expiry of 90 days from the date of announcement of the said result.

Powers of
State
Government

10. (a) The State Government may communicate to the Board its views on any work done or conducted by the Board or in respect of any matter with which the Board is concerned and the Board shall thereupon report to the State Government the action taken or proposed to be taken by it in regard thereto;
- (b) If the Board fails to take action within a reasonable time to the satisfaction of the State Government, it may, after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with the provisions of this Act and the Rules and Regulations made thereunder as it may deem fit. The Board shall comply with the said directions within the time specified therein failing which, the State Government may take all such steps as it may deem necessary to give effect to such directions;
- (c) Notwithstanding anything in Sub-sections (a) and (b) of Section 10, the State Government, in any emergency which in its opinion requires that immediate action should be taken, may without prior reference to the Board, issue such directions or take such other actions consistent with the express provisions of this Act, as it may deem fit;
- (d) State Government shall have the powers under the provisions of this Act to inspect any technical institution which State Government has permitted to start or open any time as and when necessity arises. If a recognised institution is found not functioning according to and not fulfilling the norms and standards of AICTE, the State Government shall have the power to withdraw its permission or "No Objection" Certificate.

Powers and
duties of the
Chairman

11. (a) The Chairman shall have the powers to take all necessary actions required for implementing the decisions of the Board and exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the rules;
- (b) The Chairman shall have power to take such decisions on the recommendations of the Committees constituted under Sub-section (1) of Section 14 of this Act as may be within the jurisdiction of the Board and as he may deem fit. The Chairman shall inform the Governing Body of the Board of every such decision in its next Annual General Meeting;
- (c) The Board may, subject to the provisions of Sub-section (c) of Section 10 of this Act confirm the orders passed by the Chairman under Sub-section (b) or (c) of Section 10 and pass such other orders as may be considered expedient or necessary in regard to the matters arising from the action taken by him;
- (d) Any action taken or orders passed by the State Government under Sub-section (b) of Section 10 whether in respect of any matter forthwith by the Chairman under Sub-section (b) or (c) of Section 10 or otherwise, shall be final and shall not be questioned in any court of law and shall prevail over any order passed by the Chairman or the Board under this Section.

Powers and
duties of the
Vice Chairman

12. The Vice Chairman shall exercise such powers and perform such duties of the Chairman as may be prescribed by rules or delegated to him by the Chairman or the Board under this Act.

Powers and
duties of the
Secretary

13. The Secretary of the Board shall be the Chief Executive Officer of the Board and shall subject to the superintendence, control and directions of the Chairman and the Board, be responsible for the execution of its decisions. He shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by rules and, in particular :-

- (1) be responsible for the preparation of the estimates of the accounts and annual income and expenditure;

- (2) be responsible for ensuring that all moneys allotted to the Board are spent for the purposes for which they are allotted;
- (3) be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board; and
- (4) be entitled to be present at the meetings of the Board and take part in the proceedings.

14. (1) The Board shall constitute different committees viz., Course Committee, Examination Committee, Inspection and Affiliation Committee, Entrance Examination Committee and such other committee as may be prescribed by the rules. The Secretary of the Board shall be the Ex-officio member of every such committee;

Formation of Committees and Sub-Committees

(2) Additional Secretary/Joint Secretary, Govt. of Uttaranchal nominated by the State Government shall be the Ex-officio designated Director of the Entrance Examination Committee;

(3) A Committee constituted under Sub-section (1) above shall consist of such members and such other persons as the Board may in each case appoint. The term of a committee member shall be such as may be prescribed by the Rules;

(4) A Committee of the Board may co-opt such persons and for such period as it may deem fit provided that the number of persons co-opted shall not exceed one-third of the total number of members of the Committee;

(5) A co-opted member of the Board may resign by submitting a written request to the Chairman of the Board;

(6) A casual vacancy in the committee caused by resignation under Sub-section (5) or arising from any other cause, shall be filled by fresh appointment or co-option in the manner provided in Sub-section (3) or (4), as the case may be;

(7) A Committee appointed under this Act may constitute sub-committees for such purposes as may be prescribed by the Rules and for such period as it may deem fit.

15. Subject to the provisions of this Act, the State Govt. may, by Rules provide for any matter relating to the Board and any subject, in particular provide for :-

Powers of the Board to make Rules

- (a) The procedure for transaction of the business of the offices and officers of the Board and the composition of the bodies not specified in this Act;
- (b) The mode of appointment or recruitment, as applicable, and the conditions of service of the Chairman, Vice-Chairman, Secretary and other officers and employees and their powers and duties;
- (c) Creation, evolution or restructuring of departments;
- (d) The procedure for conferment of diplomas;
- (e) The provisions regarding grant of scholarships;
- (f) The number of seats in different courses of studies and the procedure of admission of students to such courses including reservation of seats;
- (g) The fee chargeable from the students for various courses of studies;
- (h) Other matters which are to be or may be prescribed;
- (i) Provide Entrance Examination and make provisions thereto.

16. The Board shall have the powers to frame Regulations of the Board under the provisions of this Act, and the Regulations so framed shall be submitted to the State Government for its approval as may be necessary and expedient from time to time for its approval with or without modification.

Powers to frame Regulations

17. Subject to the provisions of this Act, Regulations may be provided additionally for all or any of the following matters namely :-

- (a) Admission of Students to the institutions and their enrolment;
- (b) The course of study to be laid down for Diploma Certificate and other academic distinctions;
- (c) The conduct of examination and the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners, invigilators, tabulators, paper setters and moderators;
- (d) The fee to be charged for admission to the Diploma examination and other academic distinctions;
- (e) Maintenance of discipline among the students in the affiliated institutions;
- (f) To punish those institutions and their promoters who are found running the institutions in contravention of the provisions of this Act;
- (g) All other matters as may be provided in the Rules under the provisions of this Act;
- (h) Board shall have the powers to fix the rate of remunerations/honorarium of Centre Superintendent, invigilators, examiners, paper setters, moderators and also the travelling allowance and daily allowances payable to the members of the Board, experts and other members of the Committees and Sub-committees and the persons co-opted thereto, and the mode of their payment;
- (i) Board shall not permit any admission or examination of an institution unless it has been properly inspected and recommended by a committee of experts deputed by the Board and the affiliation with the Uttaranchal Board of Technical Education is granted.

18. Subject to the approval of the State Government the Board may make additional Regulations or amend or repeal the existing Regulations.

Miscellaneous

19. The terms and conditions of service of all the officers and the employees of the Board shall be specified by the State Government from time to time.

20. No suit or other legal proceeding shall lie against any officer or employee of the Board for any thing which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act.

Funds of the Board

21. (1) (a) The Board shall have a general fund (Personal Ledger Account (PLA) to which funds shall be credited.

(b) Separate general fund (Account) shall be maintained for Entrance Examination.

(2) The Board shall maintain, as above general funds to which the following funds shall be credited :-

(a) Examination Fee which may be charged by the Board;

(b) All fees received for Entrance Examination;

(c) All sums received from any other source;

(d) All contributions made by the Board;

(e) All contributions/donations made in this behalf by any other person or body which is not prohibited by any law for the time being in force or grants received from Govt. of India or any other funding agency.

(3) The funds credited to the general fund from time to time shall be utilised for recurring/non-recurring expenditures of the Board.

(4) All expenditures relating to Entrance Examination shall be met out of the general fund maintained for Entrance Examination.

22. The annual report of the Board shall be prepared within three months from the close of the financial year and submitted in the Annual General Body meeting of the Governing Body for its approval.

Annual
General Body
Meeting

23. (1) The annual accounts and balance sheet of the Board shall be prepared showing all the incomes and expenditure.

Maintenance
of Accounts

(2) Similarly separate annual account and balance sheet for the Entrance Examination shall be prepared showing all the incomes and expenditure.

(3) The accounts of the general funds of the Board shall be audited as per the accounts rules and decided by the State Government.

(4) The accounts of the Entrance Examination shall be audited by an authorised Chartered Accountant.

(5) The annual accounts and balance sheet and the audit reports shall be placed before the Governing Body in its Annual General Body meeting and shall be sent to the Government thereafter.

24. With a view to removing any difficulty in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may regulate by order any matter which is to be regulated by a rule or under this Act, anything contained in the Act notwithstanding.

Powers to
remove
difficulties

25. (1) The Uttaranchal Board of Technical Education Ordinance, 2003 (Ordinance No. 08 of 2003) is hereby repealed.

Repeal and
savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the ordinance referred to in Sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,
BHAROSI LAL,
Secretary.

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

3. The third part of the document is a list of names and addresses.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses.